

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

12 Jyeshth, 1942 (S)

No. 228

Ranchi, Tuesday, 2nd June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION 2nd June, 2020

Notification No. 02/2020- State Tax (Rate)

S.O. No.-23 dated, 2nd June, 2020 In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. 41, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

(a) after item (i) and entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely, -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of	2.5	-
aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.		

(b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures "(i)", the word, brackets, and figures "and (ia)" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

[File No. VaKar / GST /02/2020] By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel

Secretary, Commercial Taxes

Note: - The principal notification No. 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 26/2019 - State Tax (Rate), dated the 11th March, 2020 *vide* S.O. No. 12, dated the 11th March, 2020.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 02/2020- राज्य कर (दर)

एस.ओ. सं.-23 दिनांक 2 जून, 2020-- झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), (3) और उप-धारा(4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये झारखंड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा कारण जनहित में आवश्यक है, और जी एस टी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, झारखंड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस.ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 की तहत झारखंड सरकार के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्निलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

(i) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(3)	(4)	(5)
"(iक) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ	2.5	_"

(ii) मद(ii) में,कालम (3) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक "और (iक)" को अंतःस्थापित किया जाएगा। 2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[सं.सं.वा॰कर/जी॰एस॰टी/02/2020] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल

सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस.ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 11 मार्च, 2020, एस.ओ. सं.12, दिनांक 11 मार्च, 2020 के द्वारा सांशोधन किया गया है।
